(ख) क्या यह भी सच है कि इसके विलयन के कारणवश पर्यटन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को भी भंग कर दिया गया है और न तो एक नई समिति गठित की गई है और न हो पूर्ववर्ती समिति का संसदीय कार्य विभाग का हिन्दो सलाहकार समिति में विलय किया गया है ; और

(ग) क्या देश में पर्यटन से संबंधित साहित्य निबन्धों और अन्य जानकारी का हिन्दी में पूर्णतया अभाव है ; यदि हां, तो इस संबंध में विभाग क्या कदम उठाने का विचार रखता है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच के० एल० भगत) :

(क) जी हां। भूतपूर्व पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के पास इस प्रकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन था। कुछ पूर्व धारणाओं में, जिनके आधार पर यह प्रस्ताव बनाया गया था, पर्यटन के नागर विमानन से अलग हो जाने पर और संसदीय कार्य और पर्यटन के रूप में नए मंत्रालय के गठन के पश्चात्, परिवर्तन हो गया। इसलिए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना पड़ा और अब यह पुनर्विचार की प्रक्रिया में है।

(ख) जी नहीं। यह निर्णय लिया गया है कि पर्यटन विभाग की एक अलग से हिन्दी सलाहकार समिति बनाई गई। संसदीय कार्य विभाग और राजभाषा विभाग आदि से परामर्श करते हुए समिति के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संसदीय कार्य विभाग की अलग से एक हिन्दी सलाहकार समिति है एक सितम्बर, 1985 में पुनः गठित होने के बाद दो बैठकें कर चुका है।

(ग) जी नहीं, । पर्यटन विभाग ने भारत में पर्यटक अभिरुचि के स्थानों पर हिन्दी में ब्रोशर्स और फोल्डर्स प्रकाशित किए हैं और यह प्रक्रिया जारी है।

. SHRI NATHA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have re-.ceived any representation from some Members of Parliament regarding the repbsting of Intelligence Officers in the Directorate of Anti-Evasion, and if so, whether the same have since been considered by Government in the light of the impIementafTon of the recommendations made by the Department of Women's Welfare *vide* their Circular No. 3-265175-WW dated the 28th February, 1976; and

(b) if the answer to part (a) above be in the negative, what are the reasons for delay and b.y when such cases are likely to be disposed off?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI); (a) and (b) A request was received from a Member of Parliament in January. 1986 for transfer of an Intelligence Officer of the Directorate of Anti-.Evasion from Indore to Delhi. .The request was examined and it was found that the concerned officer was posted to Indore only in May, 1985 and was not yet due for a transfer. Moreover, Ministerial officers promoted to the grade of InleTagence • Officers lack field experience and it is necessary to give- them suah experience. However, efforts are made to keep husband and wife, when both are in service, at the same station, subject to administrative exigencies. Keeping in view these considerations, such requests for re-posting of Intelligence Officers are considered at ihe appropriate time by the concerned authorities.

Posting of Intelligence Officer^

2293

सीवर लाइनों की सफाई करने वाले कर्मकारों के लिए जीवन बीमा

2294. **श्री अच्छे लाल बाल्मीक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीवर लाइनों की सफाई करने वाले श्रमिकों का काय उनके जीवन

के लिए खतरनाक होने के कारण उनका जीवन बीमा करने और उनकी ओर से बीमे की किश्तों का भुगतान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) बीमे की कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र पंजाब और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों को पहले ही सीवरों की सफाई करने वाले श्रमिकों पर लागू कर दिया है । इस अधिनियम के अधीन संबंधित व्यक्ति स्थाई विकलांगता के मामले में 24000/-रुपये और मृत्यु के मामले में 20000/-रुपये की न्यूनतम क्षतिपूर्ति का हकदार होगा बशर्ते कि यह विकलांगता या मृत्यु नियोजन में चोट लगने के कारण हो। अन्य राज्यों।संघ क्षेत्रों से भी सीवरों की सफाई करने वाले व्यक्तियों पर इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

सामूहिक बीमा योजना के अधीन सफाई मजदूरों को लाभ

2295. **श्री अच्छे लाल बाल्मीक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभागों में कार्यरत सफाई मजदूरों को सामूहिक बीमा योजना के अधीन 12000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सामूहिक बीमा योजना के अधीन इस राशि को बढ़ा कर 25000 रुपए करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार के विभागों में नियमित आधार पर कार्य कर रहे समूह "घ" कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों सहित) को समूह बीमा योजना के अन्तर्गत 10,000।- रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Direct Recruits of the Indian Ejcoao-*miii* Service

2296. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Indian Economic Service direct re cruits who joined in 1960 are not only-stagnating in the scale of Rs. 1100—1600 but will also continue in the same scale for next 5-6 yeats;

(b) if so, what are the prospects of those direct recruits who are in the initial scale of Rs. 700—I3OO and are likely to slide down by about 200 places as a result of the recent judge, ment given by the Supreme Court in February, 1986; and

(e) what steps Government have taken or propose to take to improve the career prospects of the direct recruits of the Indian Economic Service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI); (a) No, Sir. The Direct recruitment to Gr. IV of Indian Economic Service started only in 1968, based on lES Examination, 1967.

(b) In its judgement dated 11.2.86, relating to the Indian Economic Service, The Hon'ble Supreme Court has directed the Union of India to prepare a new seniority list in Gr. IV Of Indian Economic Service. The pro-motee officers to Gr. IV shall be assigned seniority with effect from the